

फॉर्म संख्या 15जी और 15एच के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण

अधिसूचना संख्या 9/2016

[एफ.सं.:डीजीआईटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/डीसीआईटी/15जीएच/2016-17/4539, दिनांक 9-6-2016]

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 197क के मौजूदा प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि किसी भुगतान का प्राप्तकर्ता, जिस पर कर कटौती योग्य है, उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार स्व-घोषणा प्रपत्र संख्या 15जी/15एच प्रस्तुत करता है, तो कर नहीं काटा जाएगा। ऐसी घोषणाएँ दाखिल करने की विधि और विवरण आयकर नियम, 1962 ('नियम') के नियम 29सी में 1-10-2015 से अधिसूचना संख्या 76/2015, दिनांक 29-9-2015 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

2. उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नियमों के नियम 29सी के उप-नियम (7) और (8) के अनुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को घोषणा प्रस्तुत करने और सत्यापन करने तथा विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करना अपेक्षित है। इसके अनुसरण में, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ने प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को अधिसूचित करने के लिए 1 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना संख्या 4/2015 जारी की है।

3. निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(क) भुगतानकर्ताओं द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर 15जी/एच घोषणाओं को तिमाही आधार पर अपलोड करने की अंतिम तिथि।

(ख) 1-10-2015 से 31-3-2016 की अवधि के दौरान भुगतानकर्ता द्वारा प्राप्त फॉर्म 15जी/15एच से निपटने का तरीका।

4. इस संबंध में, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि:

(क) भुगतानकर्ता द्वारा 1-4-2016 से प्राप्त 15जी/15एच घोषणाओं को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करने की नियत तिथि नीचे दी गई होगी:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तिथि	नियत तारीख
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई
2.	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्टूबर
3.	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी
4.	31 मार्च	जिस वित्तीय वर्ष में घोषणा की जाती है उसके ठीक बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक।

(ख) भुगतानकर्ता को 1-10-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त 15जी/15एच घोषणाएं ई-फाइलिंग पोर्टल (<http://incometaxindiaefiling.gov.in>) पर दिए गए प्रारूप में 30 जून, 2016 को या उससे पहले प्रस्तुत करनी होंगी।